

क्र.स.	विवरण			
1	आवेदक का नाम	बाली देवी पत्नी स्व. श्री चावण्डीराम		
2	राजस्व ग्राम	पाल		
3	खसरा नम्बर	444/1, 444/3		
4	क्षेत्रफल	8 बीघा		
5	खसरा सुपरइम्पोजिन एवं आऊटर सीमा का प्रमाणीकरण	सम्बन्धित अमीन द्वारा किया गया है जिसमें 90 बी मानचित्र अनुमोदन प0स0 38/2011 के पैरा संख्या 2 से 5 आदेश श्रीमान उपायुक्त महोदय (दक्षिण) दिनांक 15.02.2011 के निर्देशों के क्रम में पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हल्का पाल के तरमीमी प्रमाणित नक्शा ट्रेस ग्राम धिनाणा की ढाणी खं0 नं. 444/1 व 444/3 क्रमांक 6903 दिनांक 25.03.2011 के आधार पर प्रस्तुत ले आउट प्लान में ग्राम धिनाणा की ढाणी के तरमीमी ख.नं. 444/1 व 444/3 की सीमाओं को सुपरइम्पोज किया गया।		
6	स्वामित्व/आवाप्ति/विधिक परीक्षण	सम्बन्धित उपायुक्त के अनुसार भूमि का स्वामित्व आवेदक का है। भूमि तरमीम शुदा हैं। निदेशक विधि ने बैठक में कोई विपरीत राय प्रकट नहीं की है।		
7	आवेदित भूमि में राजकीय भूमि/रास्ता नहीं होने का अमीन द्वारा प्रमाणीकरण	अमीन की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि में राजकीय भूमि शामिल नहीं है व कोई रास्ता नहीं है।		
8	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	आवासीय		
9	चाहा गया भू-उपयोग	आवासीय		
10	आवेदित भूमि तक पहुच मार्ग	80'		
11	आवेदित भूमि से होकर गुजरने वाली विद्युत लाईन का विवरण	नहीं		
12	ले-आउट प्लान का क्षेत्र विश्लेषण		टाऊनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार	मानचित्रानुसार
		बिकी योग्य क्षेत्रफल का प्रतिशत	70 प्रतिशत	59.88
		सुविधाओं के क्षेत्रफल का प्रतिशत	30 प्रतिशत	10.52
		सडको के क्षेत्रफल का प्रतिशत		29.6

**निर्णय :-**

ले-आऊट को निम्न शर्तों के साथ समिति द्वारा स्वीकृत किया गया ।

1. प्रार्थी पेयजल अपूर्ति हेतु जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से पहले सहमति प्राप्त करें।
2. यदि प्रार्थी की भूमि नगर निगम क्षेत्र में है, तो सीवरेज व्यवस्था के बारे में प्रार्थी नगर निगम से सहमति प्राप्त करें।

*(Handwritten Signature)*

क्र.स.	विवरण			
1	आवेदक का नाम	बाबूलाल बगौरा		
2	राजस्व ग्राम	चौपासनी जागीर		
3	खसरा नम्बर	322/149		
4	क्षेत्रफल	5 बीघा		
5	खसरा सुपरइम्पोजिन एवं आऊटर सीमा का प्रमाणीकरण	सम्बन्धित अमीन द्वारा किया गया है जिसमें उक्त ले-आऊट प्लान ग्राम चौपासनी के मूल खसरा 149 का भाग ख.न. 322/149 है। जिसका मौका अनुसार नं.वि.वि., जयपुर दिनांक 01/07/10 के आदेशानुसार मिलान (सुपरइम्पोजिंग) किया गया		
6	स्वामित्व/आवाप्ति/विधिक परीक्षण	सम्बन्धित उपायुक्त के अनुसार भूमि का स्वामित्व आवेदक का है। भूमि तरमीम शुदा नहीं है।		
7	आवेदित भूमि में राजकीय भूमि/रास्ता नहीं होने का अमीन द्वारा प्रमाणीकरण	अमीन की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि में राजकीय भूमि शामिल नहीं है व कोई रास्ता नहीं है।		
8	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	आवासीय		
9	चाहा गया भू-उपयोग	आवासीय		
10	आवेदित भूमि तक पहुच मार्ग	60'		
11	आवेदित भूमि से होकर गुजरने वाली विद्युत लाईन का विवरण	नहीं		
12	ले-आऊट प्लान का क्षेत्र विश्लेषण		टाऊनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार	मानचित्रानुसार
		बिक्री योग्य क्षेत्रफल का प्रतिशत	70 प्रतिशत	65.00 <del>59.50</del> CA
		सुविधाओं के क्षेत्रफल का प्रतिशत		5.41
		सडको के क्षेत्रफल का प्रतिशत	30 प्रतिशत	29.59

**निर्णय :-**

ले-आऊट को निम्न शर्तों के साथ समिति द्वारा स्वीकृत किया गया ।

1. प्रार्थी पेयजल अपूर्ति हेतु जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से पहले सहमति प्राप्त करें।
2. यदि प्रार्थी की भूमि नगर निगम क्षेत्र में है, तो सीवरेज व्यवस्था के बारे में प्रार्थी नगर निगम से सहमति प्राप्त करें।
3. ग्राम चौपासनी जागीर का खसरा मानचित्र नहीं है अतः तरमीम नहीं है इसलिए निर्णय लिया गया कि प्रार्थी से मालिकाना हक के सम्बन्ध में शपथ पत्र लिया जाए ।

*(Handwritten signature)*

क्र.स.	विवरण			
1	आवेदक का नाम	गौतम शर्मा पुत्र श्री बशीलाल		
2	राजस्व ग्राम	गंगाणा		
3	खसरा नम्बर	145, 146		
4	क्षेत्रफल	11 बीघा 01 बिस्वा		
5	खसरा सुपरइम्पोजिन एवं आऊटर सीमा का प्रमाणीकरण	सम्बन्धित अमीन द्वारा किया गया है जिसमें उक्त ले आउट प्लान ग्राम गंगाणा के खसरा नं. 146 व 145 का भाग है राजस्व नक्शा इल्का पटवारी से जारी क्रमांक 1418 दिनांक 14.12.2010 के अनुसार सुपरइम्पोज कर लिया गया है।		
6	स्वामित्व/आवाप्ति/विधिक परीक्षण	सम्बन्धित उपायुक्त के अनुसार भूमि का स्वामित्व आवेदक का है। भूमि तरमीम शुदा नहीं है।		
7	आवेदित भूमि में राजकीय भूमि/रास्ता नहीं होने का अमीन द्वारा प्रमाणीकरण	अमीन की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि में राजकीय भूमि शामिल नहीं है व कोई रास्ता नहीं है।		
8	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	आवासीय		
9	चाहा गया भू-उपयोग	आवासीय		
10	आवेदित भूमि तक पहुच मार्ग	100'		
11	आवेदित भूमि से होकर गुजरने वाली विद्युत लाईन का विवरण	नहीं		
12	ले-आउट प्लान का क्षेत्र विश्लेषण		टाऊनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार	मानचित्रानुसार
		बिक्री योग्य क्षेत्रफल का प्रतिशत	70 प्रतिशत	64.96
		सुविधाओं के क्षेत्रफल का प्रतिशत	30 प्रतिशत	5.05
		सडको के क्षेत्रफल का प्रतिशत		29.99

**निर्णय :-**

ले-आऊट को निम्न शर्तों के साथ समिति द्वारा स्वीकृत किया गया ।

1. प्रार्थी पेयजल अपूर्ति हेतु जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से पहले सहमति प्राप्त करें।
2. यदि प्रार्थी की भूमि नगर निगम क्षेत्र में है, तो सीवरेज व्यवस्था के बारे में प्रार्थी नगर निगम से सहमति प्राप्त करें।
3. प्रार्थी ने पहुच मार्ग हेतु जो 2 बीघा भूमि पृथक से क्रय की है उसमें तरमीम नहीं है। अतः उन खसरो की तरमीम की जाएं।



क्र.स.	विवरण			
1	आवेदक का नाम	कचरू राम पुत्र श्री रूगनाथराम		
2	राजस्व ग्राम	दर्इजर		
3	खसरा नम्बर	1, 1/1, 1/2		
4	क्षेत्रफल	35 बीघा 16 बिस्वा 5 बिशंवासी		
5	खसरा सुपरइम्पोजिन एवं आऊटर सीमा का प्रमाणीकरण	सम्बन्धित अमीन द्वारा किया गया है जिसमें प्रस्तुत ले आउट ग्राम दर्इजर के खसरा नं. 1, 1/1 व 1/2 का है तथा नामान्तर करण के प्रस्तुत पर पटवारी द्वारा तरमीम नक्शा बनाया हुआ है। खसरा नं. 1, 1/1 व 1/2 का ले आउट व राजस्व नक्शे का मिलान कर लिया गया है।		
6	स्वामित्व/आवाप्ति/विधिक परीक्षण	सम्बन्धित उपायुक्त के अनुसार भूमि का स्वामित्व आवेदक का है। भूमि तरमीम शुदा नहीं हैं।		
7	आवेदित भूमि में राजकीय भूमि/रास्ता नहीं होने का अमीन द्वारा प्रमाणीकरण	अमीन की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि में राजकीय भूमि शामिल नहीं है व कोई रास्ता नहीं है।		
8	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	परिधि नियंत्रण पट्टी		
9	चाहा गया भू-उपयोग	फार्म हाऊस		
10	आवेदित भूमि तक पहुच मार्ग	60'		
11	आवेदित भूमि से होकर गुजरने वाली विद्युत लाईन का विवरण	नहीं		
12	ले-आउट प्लान का क्षेत्र विश्लेषण	फार्म हाऊस	टारुनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार	मानचित्रानुसार
		बिकी योग्य क्षेत्रफल का प्रतिशत	75 प्रतिशत	-
		सुविधाओं के क्षेत्रफल का प्रतिशत	25 प्रतिशत	-
		सडको के क्षेत्रफल का प्रतिशत		-

फार्म हाऊस हेतु वरिष्ठ नगर नियोजक जोधपुर द्वारा दिनांक 2.12.2010 को तकनीकी अनुमोदन नागौर मथानिया जाने वाले सडक को 100' चौडी मानते हुए किया था। परन्तु यह सडक राज्य मार्ग 61 घोषित की जा चुकी है तथा मास्टर प्लान जोधपुर अनुसार सडक के केन्द्र बिन्दु से 100' छोडकर, शेष 100' वृक्षारोपण के लिए छोडना आवश्यक है।

**निर्णय :-**

1. प्रार्थी की भूमि राज्य मार्ग पर होने के कारण सडक के केन्द्र बिन्दु से 100' मार्गाधिकार हेतु भुमि तदपश्चात 100' वृक्षारोपण हेतु भूमि छोडने के पश्चात स्वीकृत दी जाएगी। अतः प्रार्थी अपना पुनःरक्षित मानचित्र प्रस्तुत करें।
2. प्रार्थी भूमि की तरमीम कराये।
3. प्रार्थी पेयजल अपूर्ति हेतु Ground Water Deptt. से पहले सहमति प्राप्त करें।

*Signature*

प्रकरण संख्या

क्र.स.	विवरण			
1	आवेदक का नाम	कचरू राम पुत्र श्री रूगनाथराम		
2	राजस्व ग्राम	दईजर		
3	खसरा नम्बर	1, 1/1, 1/2		
4	क्षेत्रफल	35 बीघा 16 बिस्वा 5 बिश्वासी		
5	खसरा सुपरइम्पोजिन एवं आऊटर सीमा का प्रमाणीकरण	सम्बन्धित अमीन द्वारा किया गया है जिसमें प्रस्तुत ले आउट ग्राम दईजर के खसरा नं. 1, 1/1 व 1/2 का है तथा नामान्तर करण के प्रस्तुत पर पटवारी द्वारा तरमीम नक्शा बनाया हुआ है। खसरा नं. 1, 1/1 व 1/2 का ले आउट व राजस्व नक्शे का मिलान कर लिया गया है।		
6	स्वामित्व/आवाप्ति/विधिक परीक्षण	सम्बन्धित उपायुक्त के अनुसार भूमि का स्वामित्व आवेदक का है। भूमि तरमीम शुदा नहीं है।		
7	आवेदित भूमि में राजकीय भूमि/रास्ता नहीं होने का अमीन द्वारा प्रमाणीकरण	अमीन की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि में राजकीय भूमि शामिल नहीं है व कोई रास्ता नहीं है।		
8	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	परिधि नियंत्रण पट्टी		
9	चाहा गया भू-उपयोग	फार्म हाऊस		
10	आवेदित भूमि तक पहुच मार्ग	60'		
11	आवेदित भूमि से होकर गुजरने वाली विद्युत लाईन का विवरण	नहीं		
12	ले-आउट प्लान का क्षेत्र विश्लेषण	फार्म हाऊस	टाऊनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार	मानचित्रानुसार
		बिक्री योग्य क्षेत्रफल का प्रतिशत	75 प्रतिशत	-
		सुविधाओं के क्षेत्रफल का प्रतिशत	25 प्रतिशत	-
		सडको के क्षेत्रफल का प्रतिशत		-

फार्म हाऊस हेतु वरिष्ठ नगर नियोजक जोधपुर द्वारा दिनांक 2.12.2010 को तकनीकी अनुमोदन नागौर मथानिया जाने वाले सडक को 100' चौडी मानते हुए किया था। परन्तु यह सडक राज्य मार्ग 61 घोषित की जा चुकी है तथा मास्टर प्लान जोधपुर अनुसार सडक के केन्द्र बिन्दु से 100' छोडकर, शेष 100' वृक्षारोपण के लिए छोडना आवश्यक है।

**निर्णय :-**

1. प्रार्थी की भूमि राज्य मार्ग पर होने के कारण सडक के केन्द्र बिन्दु से 100' मार्गाधिकार हेतु भूमि तदपश्चात 100' वृक्षारोपण हेतु भूमि छोडने के पश्चात स्वीकृत दी जाएगी। अतः प्रार्थी अपना पुनःरक्षित मानचित्र प्रस्तुत करें।
2. प्रार्थी भूमि की तरमीम कराये।
3. प्रार्थी पेयजल अपूर्ति हेतु Ground Water Deptt. से पहले सहमति प्राप्त करें।

*uzom*

बैठक दिनांक 18 अप्रैल 2011

प्रकरण संख्या 482/11

जोन उत्तर

क्र.स.	विवरण			
1	आवेदक का नाम	भंवरीदेवी पत्नी श्री गोमदराम		
2	राजस्व ग्राम	आंगणवा		
3	खसरा नम्बर	111		
4	क्षेत्रफल	11 बीघा 08 बिस्वा		
5	खसरा सुपरइम्पोजिन एवं आऊटर सीमा का प्रमाणीकरण	सम्बन्धित अमीन द्वारा किया गया है जिसमें प्रस्तुत ले आउट का मिलान हल्का पटवारी द्वारा जारी लट्टा ट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपि क्रमांक 316 दिनांक 28.7.2009 से किया गया। ले-आउट ग्राम आंगणवा के खसरा नं. 111 का है।		
6	स्वामित्व/आवाप्ति/विधिक परीक्षण	सम्बन्धित उपायुक्त के अनुसार भूमि का स्वामित्व आवेदक का है। भूमि तरमीम शुदा हैं। निदेशक विधि ने बैठक में कोई विपरीत राय प्रकट नहीं की है।		
7	आवेदित भूमि में राजकीय भूमि/रास्ता नहीं होने का अमीन द्वारा प्रमाणीकरण	अमीन की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि में राजकीय भूमि शामिल नहीं है व कोई रास्ता नहीं है।		
8	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	आवासीय		
9	चाहा गया भू-उपयोग	आवासीय		
10	आवेदित भूमि तक पहुच मार्ग	200'		
11	आवेदित भूमि से होकर गुजरने वाली विद्युत लाईन का विवरण	नहीं		
12	ले-आउट प्लान का क्षेत्र विश्लेषण		टाऊनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार	मानचित्रानुसार
		बिक्री योग्य क्षेत्रफल का प्रतिशत	70 प्रतिशत	59.68
		सुविधाओं के क्षेत्रफल का प्रतिशत	30 प्रतिशत	04.94
		सडको के क्षेत्रफल का प्रतिशत		35.38

**निर्णय :-**

ले-आऊट को निम्न शर्तों के साथ समिति द्वारा स्वीकृत किया गया।

1. प्रार्थी पेयजल अपूर्ति हेतु जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से पहले सहमति प्राप्त करें।
2. यदि प्रार्थी की भूमि नगर निगम क्षेत्र में है, तो सीवरेज व्यवस्था के बारे में प्रार्थी नगर निगम से सहमति प्राप्त करें।

*(Handwritten Signature)*

क्र.स.	विवरण			
1	आवेदक का नाम	सरदार खां पुत्र श्री उमराव खां		
2	राजस्व ग्राम	चौपासनी		
3	खसरा नम्बर	46		
4	क्षेत्रफल	04 बीघा		
5	खसरा सुपरइम्पोजिन एवं आऊटर सीमा का प्रमाणीकरण	सम्बन्धित अमीन द्वारा किया गया है जिसमें उक्त ले-आउट प्लान का कार्यालय में उपलब्ध फॉटोकॉपी नक्शा से भौतिक सत्यापन कर कब्जा व क्षेत्रफल के आधार पर नगरीय विकास विभाग के पत्राक प. 3/1086/नंवि/3/2010 दिनांक 1.7.2010 के अनुसार मिलान कर लिया गया है।		
6	स्वामित्व/आवाप्ति/विधिक परीक्षण	सम्बन्धित उपायुक्त के अनुसार भूमि का स्वामित्व आवेदक का है। भूमि तरमीम शुदा हैं। निदेशक विधि ने बैठक में कोई विपरीत राय प्रकट नहीं की है।		
7	आवेदित भूमि में राजकीय भूमि/रास्ता नहीं होने का अमीन द्वारा प्रमाणीकरण	अमीन की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि में राजकीय भूमि शामिल नहीं है व कोई रास्ता नहीं है।		
8	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	आवासीय		
9	चाहा गया भू-उपयोग	आवासीय		
10	आवेदित भूमि तक पहुच मार्ग	सामने 200' व पिछे के भूखण्ड के लिए कोई पहुच मार्ग नहीं है।		
11	आवेदित भूमि से होकर गुजरने वाली विद्युत लाईन का विवरण	नहीं		
12	ले-आउट प्लान का क्षेत्र विश्लेषण	टाऊनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार	मानचित्रानुसार	
		विक्री योग्य क्षेत्रफल का प्रतिशत		
		सुविधाओं के क्षेत्रफल का प्रतिशत		
		सडको के क्षेत्रफल का प्रतिशत		

आवेदक ने रेवन्यू रिकार्ड व मौके पर सूखे नाले पर सडक प्रस्तावित कर दी है, एवं अमीन द्वारा Superimpose करते समय इस तथ्यों का ध्यान नहीं दिया गया है। आवेदक पीछे की तरफ प्रस्तावित भूखण्डो के लिए पहुच मार्ग नहीं है। अतः प्रकरण समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

**निर्णय :-**

1. प्रार्थी पुनःरक्षित मानचित्र प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी पेयजल अपूर्ति हेतु जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से पहले सहमति प्राप्त करें।
3. यदि प्रार्थी की भूमि नगर निगम क्षेत्र में है, तो सीवरेज व्यवस्था के बारे में प्रार्थी नगर निगम से सहमति प्राप्त करें।



बैठक दिनांक 18 अप्रैल 2011

प्रकरण संख्या 263/10

जोन उत्तर

क्र.स.	विवरण			
1	आवेदक का नाम	लता बैरवा पत्नी श्री भगत सिंह		
2	राजस्व ग्राम	नेतडा		
3	खसरा नम्बर	416/74, 416/133, 416/134, 416/135		
4	क्षेत्रफल	20 बीघा		
5	खसरा सुपरइम्पोजिन एवं आऊटर सीमा का प्रमाणीकरण	सम्बन्धित अमीन द्वारा किया गया है जिसमें हल्का पटवारी नेतडा द्वारा जारी प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 10.7.2010 कर्मांक (पी 35) 2075 से प्रस्तुत ले-आउट ग्राम नेतडा के खसरा नं. 416/74, 416/133, 416/134, 416/135 का मिलान कर लिया गया है।		
6	स्वामित्व/आवाप्ति/विधिक परीक्षण	सम्बन्धित उपायुक्त के अनुसार भूमि का स्वामित्व आवेदक का है। भूमि तरमीम शुदा हैं। निदेशक विधि ने बैठक में कोई विपरीत राय प्रकट नहीं की है।		
7	आवेदित भूमि में राजकीय भूमि/रास्ता नहीं होने का अमीन द्वारा प्रमाणीकरण	अमीन की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि में राजकीय भूमि शामिल नहीं है व कोई रास्ता नहीं है।		
8	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	परिधि नियंत्रण पट्टी		
9	चाहा गया भू-उपयोग	फार्म हाऊस		
10	आवेदित भूमि तक पहुच मार्ग	200'		
11	आवेदित भूमि से होकर गुजरने वाली विद्युत लाईन का विवरण	नहीं		
12	ले-आउट प्लान का क्षेत्र विश्लेषण	फार्म हाऊस	टाऊनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार	मानचित्रानुसार
		बिक्री योग्य क्षेत्रफल का प्रतिशत	75 प्रतिशत	69.14
		सुविधाओं के क्षेत्रफल का प्रतिशत	25 प्रतिशत	30.86
		सडको के क्षेत्रफल का प्रतिशत		

निर्णय :-

ले-आउट को निम्न शर्तों के साथ समिति द्वारा स्वीकृत किया गया ।

1. प्रार्थी पेयजल अपूर्ति हेतु Ground Water Deptt. से पहले सहमति प्राप्त करें।



क्र.स.	विवरण			
1	आवेदक का नाम	धूडाराम पुत्र श्री दानाराम		
2	राजस्व ग्राम	आंगणवा		
3	खसरा नम्बर	110		
4	क्षेत्रफल	4 बीघा 16 बिस्वा 10 बिस्वांशी		
5	खसरा सुपरइम्पोजिन एवं आऊटर सीमा का प्रमाणीकरण	सम्बन्धित अमीन द्वारा किया गया है जिसमें प्रस्तुत ले-आउट का मिलान हल्का पटवारी द्वारा जारी लट्टा ट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपि क्रमांक 316 दिनांक 28.7.2009 से किया गया। ले-आउट ग्राम आंगणवा के खसरा नं. 110 का है। प्लान सडक के मध्य से 100' है।		
6	स्वामित्व/आवाप्ति/विधिक परीक्षण	सम्बन्धित उपायुक्त के अनुसार भूमि का स्वामित्व आवेदक का है। भूमि तरमीम शुदा नहीं हैं।		
7	आवेदित भूमि में राजकीय भूमि/रास्ता नहीं होने का अमीन द्वारा प्रमाणीकरण	अमीन की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि में राजकीय भूमि शामिल नहीं है व कोई रास्ता नहीं है।		
8	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	आवासीय		
9	चाहा गया भू-उपयोग	आवासीय		
10	आवेदित भूमि तक पहुच मार्ग	200'		
11	आवेदित भूमि से होकर गुजरने वाली विद्युत लाईन का विवरण	नहीं		
12	ले-आउट प्लान का क्षेत्र विश्लेषण		टाऊनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार	मानचित्रानुसार
		विकी योग्य क्षेत्रफल का प्रतिशत	70 प्रतिशत	59.72
		सुविधाओं के क्षेत्रफल का प्रतिशत	30 प्रतिशत	11.46
		सडको के क्षेत्रफल का प्रतिशत		28.82

**निर्णय :-**

ले-आऊट को निम्न शर्तों के साथ समिति द्वारा स्वीकृत किया गया ।

1. प्रार्थी पेयजल अपूर्ति हेतु जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से पहले सहमति प्राप्त करें।
2. यदि प्रार्थी की भूमि नगर निगम क्षेत्र में है, तो सीवरेज व्यवस्था के बारे में प्रार्थी नगर निगम से सहमति प्राप्त करें।
3. प्रार्थी भूमि की तरमीम करवाये।



क्र.स.	विवरण			
1	आवेदक का नाम	फरसाराण पुत्र श्री हम्मता		
2	राजस्व ग्राम	गंगाणा		
3	खसरा नम्बर	35		
4	क्षेत्रफल	11 बीघा 01 बिस्वांशी		
5	खसरा सुपरइम्पोजिन एवं आऊटर सीमा का प्रमाणीकरण	सम्बन्धित अमीन द्वारा किया गया है जिसमें उक्त ले आऊट प्लान ग्राम गंगाणा के खसरा नं. 35 का भाग है। राजस्व नक्शा हल्का पटवारी सुपरइम्पोज (मिलान) किया गया है।		
6	स्वामित्व/आवाप्ति/विधिक परीक्षण	सम्बन्धित उपायुक्त के अनुसार भूमि का स्वामित्व आवेदक का है। भूमि तरमीम शुदा हैं। निदेशक विधि ने बैठक में कोई विपरीत राय प्रकट नहीं की है।		
7	आवेदित भूमि में राजकीय भूमि/रास्ता नहीं होने का अमीन द्वारा प्रमाणीकरण	अमीन की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि में राजकीय भूमि शामिल नहीं है व कोई रास्ता नहीं है।		
8	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	आवासीय		
9	चाहा गया भू-उपयोग	आवासीय		
10	आवेदित भूमि तक पहुच मार्ग	80'		
11	आवेदित भूमि से होकर गुजरने वाली विद्युत लाईन का विवरण	नहीं		
12	ले-आऊट प्लान का क्षेत्र विश्लेषण		टारुनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार	मानचित्रानुसार
		विकी योग्य क्षेत्रफल का प्रतिशत	70 प्रतिशत	59.98
		सुविधाओं के क्षेत्रफल का प्रतिशत	30 प्रतिशत	5.78
		सडको के क्षेत्रफल का प्रतिशत		34.24

**निर्णय :-**

ले-आऊट को निम्न शर्तों के साथ समिति द्वारा स्वीकृत किया गया ।

1. प्रार्थी पेयजल अपूर्ति हेतु जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से पहले सहमति प्राप्त करें।
2. यदि प्रार्थी की भूमि नगर निगम क्षेत्र में है, तो सीवरेज व्यवस्था के बारे में प्रार्थी नगर निगम से सहमति प्राप्त करें।

*Signature*

क्र.स.	विवरण			
1	आवेदक का नाम	गोदाराम पुत्र श्री बालूराम गुजर		
2	राजस्व ग्राम	झालामण्ड		
3	खसरा नम्बर	702/1		
4	क्षेत्रफल	12 बीघा 2 बिस्वा		
5	खसरा सुपरइम्पोजिन एवं आऊटर सीमा का प्रमाणीकरण	सम्बन्धित अमीन द्वारा किया गया है जिसमें 90 बी गार्ड पत्रावली सं. 3/2011 आदेश श्रीमान उपायुक्त महोदय (पूर्व) क्रमांक 239 दिनांक 16.36.2011 की पालना में पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हल्का झालामण्ड के तरमीम सहित प्रमाणित राजस्व नक्शा टेस क्रमांक 04/2.4.2011 के आधार पर प्रस्तुत ले आउट प्लान पर ग्राम झालामण्ड के तरमीमी खं. न. 702/1 को सुपरइम्पोज किया गया। सुपरइम्पोज के मध्य राजस्व नक्शे अनुसार कोई राजकीय रास्ते या राजकीय भूमि नहीं है।		
6	स्वामित्व/आवाप्ति/विधिक परीक्षण	सम्बन्धित उपायुक्त के अनुसार भूमि का स्वामित्व आवेदक का है। भूमि तरमीम शुदा नहीं हैं।		
7	आवेदित भूमि में राजकीय भूमि/रास्ता नहीं होने का प्रमाणीकरण	सम्बन्धित अमीन द्वारा किया गया		
8	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	आवासीय		
9	चाहा गया भू-उपयोग	आवासीय		
10	आवेदित भूमि तक पहुच मार्ग	40'		
11	आवेदित भूमि से होकर गुजरने वाली विद्युत लाईन का विवरण	नहीं		
12	ले-आउट प्लान का क्षेत्र विश्लेषण		टाऊनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार	मानचित्रानुसार
		बिक्री योग्य क्षेत्रफल का प्रतिशत	70 प्रतिशत	63.15
		सुविधाओं के क्षेत्रफल का प्रतिशत	30 प्रतिशत	5.00
		सडको के क्षेत्रफल का प्रतिशत		31.85

**निर्णय :-**

ले-आउट को निम्न शर्तों के साथ समिति द्वारा स्वीकृत किया गया ।

1. प्रार्थी पेयजल अपूर्ति हेतु जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से पहले सहमति प्राप्त करें।
2. यदि प्रार्थी की भूमि नगर निगम क्षेत्र में है, तो सीवरेज व्यवस्था के बारे में प्रार्थी नगर निगम से सहमति प्राप्त करें।
3. प्रार्थी भूमि की तरमीम करवायें।



बैठक दिनांक 18 अप्रैल 2011

प्रकरण संख्या 35/11

जोन-पश्चिम

क्र.स.	विवरण			
1	आवेदक का नाम	शंकर पुत्र श्री धोकलराम		
2	राजस्व ग्राम	गंगाणा		
3	खसरा नम्बर	35/3		
4	क्षेत्रफल	3 बीघा		
5	खसरा सुपरइम्पोजिन एवं आऊटर सीमा का प्रमाणीकरण	सम्बन्धित अमीन द्वारा किया गया है जिसमें उक्त ले आऊट प्लान ग्राम गंगाणा के खसरा न. 35/3 जो मूल खसरा नं0 35 का भाग है। राजस्व नक्शा हल्का पटवारी से जारी क्रमांक 1493 दिनांक 25.1.2011 के अनुसार सुपरइम्पोज (मिलान) कर लिया गया है।		
6	स्वामित्व/आवाप्ति/विधिक परीक्षण	सम्बन्धित उपायुक्त के अनुसार भूमि का स्वामित्व आवेदक का है। भूमि तरमीम शुदा हैं। निदेशक विधि ने बैठक में कोई विपरीत राय प्रकट नहीं की है।		
7	आवेदित भूमि में राजकीय भूमि/रास्ता नहीं होने का अमीन द्वारा प्रमाणीकरण	अमीन की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि में राजकीय भूमि शामिल नहीं है व कोई रास्ता नहीं है।		
8	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	आवासीय		
9	चाहा गया भू-उपयोग	आवासीय		
10	आवेदित भूमि तक पहुच मार्ग	80'		
11	आवेदित भूमि से होकर गुजरने वाली विद्युत लाईन का विवरण	नहीं		
12	ले-आउट प्लान का क्षेत्र विश्लेषण		टाऊनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार	मानचित्रानुसार
		बिक्री योग्य क्षेत्रफल का प्रतिशत	70 प्रतिशत	56.96
		सडको के क्षेत्रफल का प्रतिशत	30 प्रतिशत	43.04

निर्णय :-

ले-आऊट को निम्न शर्तों के साथ समिति द्वारा स्वीकृत किया गया ।

1. प्रार्थी पेयजल अपूर्ति हेतु जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से पहले सहमति प्राप्त करें।
2. यदि प्रार्थी की भूमि नगर निगम क्षेत्र में है, तो सीवरेज व्यवस्था के बारे में प्रार्थी नगर निगम से सहमति प्राप्त करें।

क्र.स.	विवरण			
1	आवेदक का नाम	भागीरथ राम पुत्र श्री लाबुराम		
2	राजस्व ग्राम	झालामण्ड		
3	खसरा नम्बर	704		
4	क्षेत्रफल	4 बीघा 10 बिस्वा		
5	खसरा सुपरइम्पोजिन एवं आऊटर सीमा का प्रमाणीकरण	सम्बन्धित अमीन द्वारा किया गया है जिसमें 90 बी गार्ड पत्रावली सं. 3/2011 आदेश श्रीमान उपायुक्त महोदय (पूर्व) क्रमांक 233 दिनांक 16.3.2011 की पालना में पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हल्का झालामण्ड के तरमीमी प्रमाणित नक्शा ट्रेस क्रमांक 746 दिनांक 28.3.2011 के आधार पर प्रस्तुत ले आउट प्लान पर ग्राम झालामण्ड के तरमीमी खं. न. 704 को सुपरइम्पोज किया एवं आवेदित भूमि का मोका अनुसार किया गया है।		
6	स्वामित्व/आवाप्ति/विधिक परीक्षण	सम्बन्धित उपायुक्त के अनुसार भूमि का स्वामित्व आवेदक का है। भूमि तरमीम शुदा नहीं हैं।		
7	आवेदित भूमि में राजकीय भूमि/रास्ता नहीं होने का अमीन द्वारा प्रमाणीकरण	अमीन की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि में राजकीय भूमि शामिल नहीं है व कोई रास्ता नहीं है।		
8	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	आवासीय		
9	चाहा गया भू-उपयोग	आवासीय		
10	आवेदित भूमि तक पहुच मार्ग	40'		
11	आवेदित भूमि से होकर गुजरने वाली विद्युत लाईन का विवरण	नहीं		
12	ले-आउट प्लान का क्षेत्र विश्लेषण		टाऊनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार	मानचित्रानुसार
		बिक्री योग्य क्षेत्रफल का प्रतिशत	70 प्रतिशत	60.00
		सुविधाओं के क्षेत्रफल का प्रतिशत	30 प्रतिशत	5.07
		सडको के क्षेत्रफल का प्रतिशत		34.93

**निर्णय :-**

ले-आउट को निम्न शर्तों के साथ समिति द्वारा स्वीकृत किया गया ।

1. प्रार्थी पेयजल अपूर्ति हेतु जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से पहले सहमति प्राप्त करें।
2. यदि प्रार्थी की भूमि नगर निगम क्षेत्र में है, तो सीवरेज व्यवस्था के बारे में प्रार्थी नगर निगम से सहमति प्राप्त करें।
3. प्रार्थी को भूमि की तरमीम करवानी होगी।



क्र.स.	विवरण			
1	आवेदक का नाम	मेघाराम पुत्र श्री जोगाराम आदि		
2	राजस्व ग्राम	अगणवा		
3	खसरा नम्बर	171		
4	क्षेत्रफल	10 बीघा 11 बिस्वा		
5	खसरा सुपरइम्पोजिन एवं आऊटर सीमा का प्रमाणीकरण	सम्बन्धित अमीन द्वारा किया गया है जिसमें प्रस्तुत ले-आऊट का भौतिक सत्यापन कर हल्का पटवारी द्वारा जारी लट्टा ट्रेस से मिलान किया गया। ले-आऊट ग्राम आंगणवा के खसरा न. 171 का है।		
6	स्वामित्व/आवाप्ति/विधिक परीक्षण	सम्बन्धित उपायुक्त के अनुसार भूमि का स्वामित्व आवेदक का है। भूमि तरमीम शुदा है। निदेशक विधि ने बैठक में कोई विपरीत राय प्रकट नहीं की है।		
7	आवेदित भूमि में राजकीय भूमि/रास्ता नहीं होने का अमीन द्वारा प्रमाणीकरण	अमीन की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि में राजकीय भूमि शामिल नहीं है व कोई रास्ता नहीं है।		
8	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	आवासीय		
9	चाहा गया भू-उपयोग	आवासीय		
10	आवेदित भूमि तक पहुच मार्ग	-		
11	आवेदित भूमि से होकर गुजरने वाली विद्युत लाईन का विवरण	नहीं		
12	ले-आऊट प्लान का क्षेत्र विश्लेषण		टारुनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार	मानचित्रानुसार
		बिक्री योग्य क्षेत्रफल का प्रतिशत		
		सुविधाओं के क्षेत्रफल का प्रतिशत		
		सडको के क्षेत्रफल का प्रतिशत		

इस प्रकरण में प्रार्थी ने जो पहुँच मार्ग प्रस्तावित किये है वे राजस्व रिकार्ड अनुसार उपलब्ध नहीं है, एवं प्रार्थी ने दुसरे की भूमि में भी लगभग आधी भूमि पहुच मार्ग के लिए प्रस्तावित कर दी है, (पूर्व में इस प्रकार कुछ ले-आऊट स्वीकृत किये जा चुके हैं) अतः पहुँच मार्ग के सम्बन्ध में नितिगत निर्णय हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।  
निर्णय :-

1. समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित उपायुक्त इस प्रकरण में जांच कर आगामी बैठक में प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी पेयजल अपूर्ति हेतु जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से पहले सहमति प्राप्त करें।
3. यदि प्रार्थी की भूमि नगर निगम क्षेत्र में है, तो सीवरेज व्यवस्था के बारे में प्रार्थी नगर निगम से सहमति प्राप्त करें।

क्र.स.	विवरण		
1	आवेदक का नाम	कालूराम पुत्र श्री चुन्नीलाल भील	
2	राजस्व ग्राम	अगणवा	
3	खसरा नम्बर	182/2	
4	क्षेत्रफल	7 बीघा 12 बिस्वा 65 बिस्वांसी	
5	खसरा सुपरइम्पोजिन एवं आऊटर सीमा का प्रमाणीकरण	सम्बन्धित अमीन द्वारा किया गया है जिसमें ग्राम आगणवा के खसरा नं. 182/2 राजस्व नक्शे से प्रस्तुत ले-आऊट प्लान का मिलान कर लिया गया ।	
6	स्वामित्व/आवाप्ति/विधिक परीक्षण	सम्बन्धित उपायुक्त के अनुसार भूमि का स्वामित्व आवेदक का है। भूमि तरमीम शुदा हैं। निदेशक विधि ने बैठक में कोई विपरीत राय प्रकट नहीं की है।	
7	आवेदित भूमि में राजकीय भूमि/रास्ता नहीं होने का अमीन द्वारा प्रमाणीकरण	अमीन की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि में राजकीय भूमि शामिल नहीं है व कोई रास्ता नहीं है।	
8	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	आवासीय	
9	चाहा गया भू-उपयोग	आवासीय	
10	आवेदित भूमि तक पहुच मार्ग	-	
11	आवेदित भूमि से होकर गुजरने वाली विद्युत लाईन का विवरण	नहीं	
12	ले-आऊट प्लान का क्षेत्र विश्लेषण	टाऊनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार	मानचित्रानुसार
		बिक्री योग्य क्षेत्रफल का प्रतिशत	
		सुविधाओं के क्षेत्रफल का प्रतिशत	
		सडको के क्षेत्रफल का प्रतिशत	

इस प्रकरण में प्रार्थी ने जो पहुँच मार्ग प्रस्तावित किये हैं वे राजस्व रिकार्ड अनुसार उपलब्ध नहीं है, एवं प्रार्थी ने दुसरे की भूमि में भी लगभग आधी भूमि पहुच मार्ग के लिए प्रस्तावित कर दी है, (पूर्व में इस प्रकार कुछ ले-आऊट स्वीकृत किये जा चुके हैं) अतः पहुँच मार्ग के सम्बन्ध में नितिगत निर्णय हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।  
निर्णय :-

1. समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित उपायुक्त इस प्रकरण में जांच कर आगामी बैठक में प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी पेयजल अपूर्ति हेतु जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से पहले सहमति प्राप्त करें।
3. यदि प्रार्थी की भूमि नगर निगम क्षेत्र में है, तो सीवरेज व्यवस्था के बारे में प्रार्थी नगर निगम से सहमति प्राप्त करें।



क्र.स.	विवरण		
1	आवेदक का नाम	कालूराम पुत्र श्री चुन्नीलाल भील	
2	राजस्व ग्राम	अगणवा	
3	खसरा नम्बर	182/2	
4	क्षेत्रफल	7 बीघा 12 बिस्वा 65 बिस्वांसी	
5	खसरा सुपरइम्पोजिन एवं आऊटर सीमा का प्रमाणीकरण	सम्बन्धित अमीन द्वारा किया गया है जिसमें ग्राम आगणवा के खसरा नं. 182/2 राजस्व नक्शे से प्रस्तुत ले-आऊट प्लान का मिलान कर लिया गया।	
6	स्वामित्व/आवाप्ति/विधिक परीक्षण	सम्बन्धित उपायुक्त के अनुसार भूमि का स्वामित्व आवेदक का है। भूमि तरमीम शुदा हैं। निदेशक विधि ने बैठक में कोई विपरीत राय प्रकट नहीं की है।	
7	आवेदित भूमि में राजकीय भूमि/रास्ता नहीं होने का अमीन द्वारा प्रमाणीकरण	अमीन की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि में राजकीय भूमि शामिल नहीं है व कोई रास्ता नहीं है।	
8	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	आवासीय	
9	चाहा गया भू-उपयोग	आवासीय	
10	आवेदित भूमि तक पहुच मार्ग	-	
11	आवेदित भूमि से होकर गुजरने वाली विद्युत लाईन का विवरण	नहीं	
12	ले-आऊट प्लान का क्षेत्र विश्लेषण	टारुनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार	मानचित्रानुसार
		बिक्री योग्य क्षेत्रफल का प्रतिशत	
		सुविधाओं के क्षेत्रफल का प्रतिशत	
		सडको के क्षेत्रफल का प्रतिशत	

इस प्रकरण में प्रार्थी ने जो पहुँच मार्ग प्रस्तावित किये हैं वे राजस्व रिकार्ड अनुसार उपलब्ध नहीं हैं, एवं प्रार्थी ने दुसरे की भूमि में भी लगभग आधी भूमि पहुच मार्ग के लिए प्रस्तावित कर दी है, (पूर्व में इस प्रकार कुछ ले-आऊट स्वीकृत किये जा चुके हैं) अतः पहुँच मार्ग के सम्बन्ध में नितिगत निर्णय हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।  
निर्णय :-

1. समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित उपायुक्त इस प्रकरण में जांच कर आगामी बैठक में प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी पेयजल अपूर्ति हेतु जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से पहले सहमति प्राप्त करें।
3. यदि प्रार्थी की भूमि नगर निगम क्षेत्र में है, तो सीवरेज व्यवस्था के बारे में प्रार्थी नगर निगम से सहमति प्राप्त करें।

*Ujjain*



बैठक दिनांक 18 अप्रैल 2011

प्रकरण संख्या 24/10

जोन उत्तर

क्र.स.	विवरण			
1	आवेदक का नाम	सावरलाल एवं श्यामलाल पुत्र श्री श्री जेठाराम		
2	राजस्व ग्राम	आगणवा		
3	खसरा नम्बर	183		
4	क्षेत्रफल	6 बीघा		
5	खसरा सुपरइम्पोजिन एवं आऊटर सीमा का प्रमाणीकरण	सम्बन्धित अमीन द्वारा किया गया है जिसमें प्रस्तुत ले आऊट ग्राम आगणवा के खसरा नं. 183 का है। राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं है।		
6	स्वामित्व/आवाप्ति/विधिक परीक्षण	सम्बन्धित उपायुक्त के अनुसार भूमि का स्वामित्व आवेदक का है। भूमि तरमीम शुदा हैं। निदेशक विधि ने बैठक में कोई विपरीत राय प्रकट नहीं की है।		
7	आवेदित भूमि में राजकीय भूमि/रास्ता नहीं होने का अमीन द्वारा प्रमाणीकरण	अमीन की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि में राजकीय भूमि शामिल नहीं है व कोई रास्ता नहीं है।		
8	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	आवासीय		
9	चाहा गया भू-उपयोग	आवासीय		
10	आवेदित भूमि तक पहुच मार्ग	—		
11	आवेदित भूमि से होकर गुजरने वाली विद्युत लाईन का विवरण	नहीं		
12	ले-आउट प्लान का क्षेत्र विश्लेषण		टाऊनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार	मानचित्रानुसार
		बिक्री योग्य क्षेत्रफल का प्रतिशत		
		सुविधाओं के क्षेत्रफल का प्रतिशत		
		सडको के क्षेत्रफल का प्रतिशत		

इस प्रकरण में प्रार्थी ने जो पहुँच मार्ग प्रस्तावित किये हैं वे राजस्व रिकार्ड अनुसार उपलब्ध नहीं हैं, एवं प्रार्थी ने दुसरे की भूमि में भी लगभग आधी भूमि पहुच मार्ग के लिए प्रस्तावित कर दी है, (पूर्व में इस प्रकार कुछ ले-आऊट स्वीकृत किये जा चुके हैं) अतः पहुँच मार्ग के सम्बन्ध में नितिगत निर्णय हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।  
निर्णय :-

1. समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित उपायुक्त इस प्रकरण में जांच कर आगामी बैठक में प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी पेयजल अपूर्ति हेतु जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से पहले सहमति प्राप्त करें।
3. यदि प्रार्थी की भूमि नगर निगम क्षेत्र में है, तो सीवरेज व्यवस्था के बारे में प्रार्थी नगर निगम से सहमति प्राप्त करें।

क्र.स.	विवरण			
1	आवेदक का नाम	भंवराराम पुत्र श्री चन्दाराम		
2	राजस्व ग्राम	आगणवा		
3	खसरा नम्बर	182/3, 183/1		
4	क्षेत्रफल	7 बीघा 12 बिस्वा 5 बिस्वासी		
5	खसरा सुपरइम्पोजिन एवं आऊटर सीमा का प्रमाणीकरण	सम्बन्धित अमीन द्वारा किया गया है जिसमें प्रस्तुत ले-आऊट ग्राम आगणवा के खसरा नं. 182/3 व 183/1 का है तथा प्रस्तुत ले-आऊट प्लान का कार्यालय में उपलब्ध राजस्व नक्शे से मिलान कर लिया गया है।		
6	स्वामित्व/आवाप्ति/विधिक परीक्षण	सम्बन्धित उपायुक्त के अनुसार भूमि का स्वामित्व आवेदक का है। भूमि तरमीम शुदा हैं। निर्देशक विधि ने बैठक में कोई विपरीत राय प्रकट नहीं की है।		
7	आवेदित भूमि में राजकीय भूमि/रास्ता नहीं होने का अमीन द्वारा प्रमाणीकरण	अमीन की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि में राजकीय भूमि शामिल नहीं है व कोई रास्ता नहीं है।		
8	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	आवासीय		
9	चाहा गया भू-उपयोग	आवासीय		
10	आवेदित भूमि तक पहुच मार्ग	-		
11	आवेदित भूमि से होकर गुजरने वाली विद्युत लाईन का विवरण	नहीं		
12	ले-आऊट प्लान का क्षेत्र विश्लेषण		टाऊनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार	मानचित्रानुसार
		बिकी योग्य क्षेत्रफल का प्रतिशत		
		सुविधाओं के क्षेत्रफल का प्रतिशत		
		सडको के क्षेत्रफल का प्रतिशत		

इस प्रकरण में प्रार्थी ने जो पहुँच मार्ग प्रस्तावित किये हैं वे राजस्व रिकार्ड अनुसार उपलब्ध नहीं हैं, एवं प्रार्थी ने दुसरे की भूमि में भी लगभग आधी भूमि पहुच मार्ग के लिए प्रस्तावित कर दी है, (पूर्व में इस प्रकार कुछ ले-आऊट स्वीकृत किये जा चुके हैं) अतः पहुँच मार्ग के सम्बन्ध में नितिगत निर्णय हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।  
निर्णय :-

1. समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित उपायुक्त इस प्रकरण में जांच कर आगामी बैठक में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
2. प्रार्थी पेयजल अपूर्ति हेतु जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से पहले सहमति प्राप्त करें।
3. यदि प्रार्थी की भूमि नगर निगम क्षेत्र में है, तो सीवरेज व्यवस्था के बारे में प्रार्थी नगर निगम से सहमति प्राप्त करें।

क्र.स.	विवरण			
1	आवेदक का नाम	विमला देवी पत्नी श्री चुतराराम		
2	राजस्व ग्राम	आगणवा		
3	खसरा नम्बर	178		
4	क्षेत्रफल	3 बीघा 5 बिस्वा		
5	खसरा सुपरइम्पोजिन एवं आऊटर सीमा का प्रमाणीकरण	सम्बन्धित अमीन द्वारा किया गया है जिसमें प्रस्तुत ले-आऊट ग्राम आंगणवा का खसरा नं. 178 का है तथा पटवारी द्वारा जारी सत्य प्रतिलिपि क्रमांक 1971 दिनांक 27.12.2010 से मिलान कर लिया गया।		
6	स्वामित्व/आवाप्ति/विधिक परीक्षण	सम्बन्धित उपायुक्त के अनुसार भूमि का स्वामित्व आवेदक का है। भूमि तरमीम शुदा हैं। निदेशक विधि ने बैठक में कोई विपरीत राय प्रकट नहीं की है।		
7	आवेदित भूमि में राजकीय भूमि/रास्ता नहीं होने का अमीन द्वारा प्रमाणीकरण	अमीन की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि में राजकीय भूमि शामिल नहीं है व कोई रास्ता नहीं है।		
8	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	आवासीय		
9	चाहा गया भू-उपयोग	आवासीय		
10	आवेदित भूमि तक पहुच मार्ग	-		
11	आवेदित भूमि से होकर गुजरने वाली विद्युत लाईन का विवरण	नहीं		
12	ले-आउट प्लान का क्षेत्र विश्लेषण		टारुनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार	मानचित्रानुसार
		बिक्री योग्य क्षेत्रफल का प्रतिशत		
		सुविधाओं के क्षेत्रफल का प्रतिशत		
		सडको के क्षेत्रफल का प्रतिशत		

इस प्रकरण में प्रार्थी ने जो पहुँच मार्ग प्रस्तावित किये हैं वे राजस्व रिकार्ड अनुसार उपलब्ध नहीं हैं, एवं प्रार्थी ने दुसरे की भूमि में भी लगभग आधी भूमि पहुच मार्ग के लिए प्रस्तावित कर दी है, (पूर्व में इस प्रकार कुछ ले-आऊट स्वीकृत किये जा चुके हैं) अतः पहुँच मार्ग के सम्बन्ध में नितिगत निर्णय हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।  
निर्णय :-

1. समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित उपायुक्त इस प्रकरण में जांच कर आगामी बैठक में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
2. प्रार्थी पेयजल अपूर्ति हेतु जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से पहले सहमति प्राप्त करें।
3. यदि प्रार्थी की भूमि नगर निगम क्षेत्र में है, तो सीवरेज व्यवस्था के बारे में प्रार्थी नगर निगम से सहमति प्राप्त करें।

क्र.स.	विवरण			
1	आवेदक का नाम	भवरी पत्नी श्री गोमदराम		
2	राजस्व ग्राम	आगणवा		
3	खसरा नम्बर	109		
4	क्षेत्रफल	8 बीघा 16 बिस्वा		
5	खसरा सुपरइम्पोजिन एवं आऊटर सीमा का प्रमाणीकरण	सम्बन्धित अमीन द्वारा किया गया कि प्रस्तुत ले-आऊट का मिलान हल्का पटवारी द्वारा जारी लट्टा ट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपि क्रमांक 316 दिनांक 28.7.09 से किया गया । ले-आऊट ग्राम आगणवा के खसरा नं. 109 का है।		
6	स्वामित्व/आवाप्ति/विधिक परीक्षण	सम्बन्धित उपायुक्त के अनुसार भूमि का स्वामित्व आवेदक का है। भूमि तरमीम शुदा हैं। निदेशक विधि ने बैठक में कोई विपरीत राय प्रकट नहीं की है।		
7	आवेदित भूमि में राजकीय भूमि/रास्ता नहीं होने का अमीन द्वारा प्रमाणीकरण	अमीन की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि में राजकीय भूमि शामिल नहीं है व कोई रास्ता नहीं है।		
8	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	सरकारी कार्यालय		
9	चाहा गया भू-उपयोग	आवासीय		
10	आवेदित भूमि तक पहुच मार्ग	-		
11	आवेदित भूमि से होकर गुजरने वाली विद्युत लाईन का विवरण	नहीं		
12	ले-आऊट प्लान का क्षेत्र विश्लेषण		टाऊनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार	मानचित्रानुसार
		बिकी योग्य क्षेत्रफल का प्रतिशत		
		सुविधाओं के क्षेत्रफल का प्रतिशत		
		सडको के क्षेत्रफल का प्रतिशत		

इस प्रकरण में प्रार्थी ने जो पहुँच मार्ग प्रस्तावित किये हैं वे राजस्व रिकार्ड अनुसार उपलब्ध नहीं हैं, एवं प्रार्थी ने दुसरे की भूमि में भी लगभग आधी भूमि पहुच मार्ग के लिए प्रस्तावित कर दी है, (पूर्व में इस प्रकार कुछ ले-आऊट स्वीकृत किये जा चुके हैं) अतः पहुँच मार्ग के सम्बन्ध में नितिगत निर्णय हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

**निर्णय :-**

1. समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित उपायुक्त इस प्रकरण में जांच कर आगामी बैठक में प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी पेयजल अपूर्ति हेतु जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से पहले सहमति प्राप्त करें।
3. यदि प्रार्थी की भूमि नगर निगम क्षेत्र में है, तो सीवरेज व्यवस्था के बारे में प्रार्थी नगर निगम से सहमति प्राप्त करें।

बैठक दिनांक 18 अप्रैल 2011

प्रकरण संख्या 2/2011

जोन उत्तर

क्र.स.	विवरण			
1	आवेदक का नाम	माधोसिंह उर्फ माधूराम पुत्र श्री कालूराम		
2	राजस्व ग्राम	खोखरिया		
3	खसरा नम्बर	172/4		
4	क्षेत्रफल	8 बीघा 14 बिस्वा		
5	खसरा सुपरइम्पोजिन एवं आऊटर सीमा का प्रमाणीकरण	सम्बन्धित अमीन द्वारा किया गया कि प्रस्तुत ले-आऊट ग्राम खोखरिया के खसरा नं. 172/4 का मिलान तरमीम शुद्धा राजस्व ट्रेस अंकित क्षेत्रफल एवं मौका अनुसार मिलान कर लिया गया।		
6	स्वामित्व/आवाप्ति/विधिक परीक्षण	सम्बन्धित उपायुक्त के अनुसार भूमि का स्वामित्व आवेदक का है। भूमि तरमीम शुदा हैं। निदेशक विधि ने बैठक में कोई विपरीत राय प्रकट नहीं की है।		
7	आवेदित भूमि में राजकीय भूमि/रास्ता नहीं होने का अमीन द्वारा प्रमाणीकरण	अमीन की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि में राजकीय भूमि शामिल नहीं है व कोई रास्ता नहीं है।		
8	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	थोक व्यापार व बाईपास एवं अंशिक आवासीय		
9	चाहा गया भू-उपयोग	आवासीय		
10	आवेदित भूमि तक पहुच मार्ग	-		
11	आवेदित भूमि से होकर गुजरने वाली विद्युत लाईन का विवरण	नहीं		
12	ले-आऊट प्लान का क्षेत्र विश्लेषण		टाऊनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार	मानचित्रानुसार
		विकी योग्य क्षेत्रफल का प्रतिशत		
		सुविधाओं के क्षेत्रफल का प्रतिशत		
		सडको के क्षेत्रफल का प्रतिशत		

प्रार्थी के आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन कराने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव है।

निर्णय :-

1. प्रकरण को बैठक में निरस्त किया गया।

क्र.स.	विवरण			
1	आवेदक का नाम	माधोसिंह उर्फ माधुराम पुत्र श्री कालूराम		
2	राजस्व ग्राम	खोखरिया		
3	खसरा नम्बर	22/1		
4	क्षेत्रफल	6 बीघा		
5	खसरा सुपरइम्पोजिन एवं आऊटर सीमा का प्रमाणीकरण	सम्बन्धित अमीन द्वारा किया गया कि ले-आऊट ग्राम खोखरिया के खसरा नं. 22/1 का मिलान राजस्व नक्शे तरमीम शुद्धा, अंकित क्षेत्रफल एवं मौका अनुसार किया गया।		
6	स्वामित्व/आवाप्ति/विधिक परीक्षण	सम्बन्धित उपायुक्त के अनुसार भूमि का स्वामित्व आवेदक का है। भूमि तरमीम शुद्धा हैं। निदेशक विधि ने बैठक में कोई विपरीत राय प्रकट नहीं की है।		
7	आवेदित भूमि में राजकीय भूमि/रास्ता नहीं होने का अमीन द्वारा प्रमाणीकरण	अमीन की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि में राजकीय भूमि शामिल नहीं है व कोई रास्ता नहीं है।		
8	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	थोक व्यापार व बाईपास		
9	चाहा गया भू-उपयोग	आवासीय		
10	आवेदित भूमि तक पहुच मार्ग	-		
11	आवेदित भूमि से होकर गुजरने वाली विद्युत लाईन का विवरण	नहीं		
12	ले-आउट प्लान का क्षेत्र विश्लेषण		टाऊनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार	मानचित्रानुसार
		बिक्री योग्य क्षेत्रफल का प्रतिशत		
		सुविधाओं के क्षेत्रफल का प्रतिशत		
		सडको के क्षेत्रफल का प्रतिशत		

प्रार्थी के आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन कराने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव है।

निर्णय :-

1. प्रकरण को बैठक में निरस्त किया गया।

क्र.स.	विवरण			
1	आवेदक का नाम	सुरेश प्रकाश पुत्र श्री राणाराम		
2	राजस्व ग्राम	खोखरिया		
3	खसरा नम्बर	172/2		
4	क्षेत्रफल	9 बीघा 16 बिस्वा		
5	खसरा सुपरइम्पोजिन एवं आऊटर सीमा का प्रमाणीकरण	सम्बन्धित अमीन द्वारा किया गया कि प्रस्तुत ले-आऊट का मिलान हल्का पटवारी द्वारा जारी लट्टा ट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपि क्रमांक 2201 दिनांक 01.03.2011 से किया गया ले आऊट प्लान ग्राम खोखरिया के ख.न. 172/2 का है।		
6	स्वामित्व/आवाप्ति/विधिक परीक्षण	सम्बन्धित उपायुक्त के अनुसार भूमि का स्वामित्व आवेदक का है। भूमि तरमीम शुदा हैं। निदेशक विधि ने बैठक में कोई विपरीत राय प्रकट नहीं की है।		
7	आवेदित भूमि में राजकीय भूमि/रास्ता नहीं होने का अमीन द्वारा प्रमाणीकरण	अमीन की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि में राजकीय भूमि शामिल नहीं है व कोई रास्ता नहीं है।		
8	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	थोक व्यापार व बाईपास		
9	चाहा गया भू-उपयोग	आवासीय		
10	आवेदित भूमि तक पहुच मार्ग	-		
11	आवेदित भूमि से होकर गुजरने वाली विद्युत लाईन का विवरण	नहीं		
12	ले-आऊट प्लान का क्षेत्र विश्लेषण	टाऊनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार	मानचित्रानुसार	
		बिक्री योग्य क्षेत्रफल का प्रतिशत		
		सुविधाओं के क्षेत्रफल का प्रतिशत		
		सडको के क्षेत्रफल का प्रतिशत		

प्रार्थी के आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन कराने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव है।

निर्णय :-

1. प्रकरण को बैठक में निरस्त किया गया।

बैठक दिनांक 18 अप्रैल 2011

प्रकरण संख्या 488/11

जोन उत्तर

क्र.स.	विवरण			
1	आवेदक का नाम	मुकनाराम पुत्र श्री आसूराम		
2	राजस्व ग्राम	खोखरिया		
3	खसरा नम्बर	172/5, 172/6		
4	क्षेत्रफल	9 बीघा 11 बिस्वा		
5	खसरा सुपरइम्पोजिन एवं आऊटर सीमा का प्रमाणीकरण	सम्बन्धित अमीन द्वारा किया गया कि प्रस्तुत ले-आऊट का राजस्व नक्शों में तरमीम, राजस्व जमाबन्दी में अंकित क्षेत्रफल एवं मौका अनुसार मिलान कर लिया गया।		
6	स्वामित्व/आवाप्ति/विधिक परीक्षण	सम्बन्धित उपायुक्त के अनुसार भूमि का स्वामित्व आवेदक का है। भूमि तरमीम शुदा हैं। निदेशक विधि ने बैठक में कोई विपरीत राय प्रकट नहीं की है।		
7	आवेदित भूमि में राजकीय भूमि/रास्ता नहीं होने का अमीन द्वारा प्रमाणीकरण	अमीन की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि में राजकीय भूमि शामिल नहीं है व कोई रास्ता नहीं है।		
8	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	थोक व्यापार व बाईपास		
9	चाहा गया भू-उपयोग	आवासीय		
10	आवेदित भूमि तक पहुच मार्ग	-		
11	आवेदित भूमि से होकर गुजरने वाली विद्युत लाईन का विवरण	नहीं		
12	ले-आऊट प्लान का क्षेत्र विश्लेषण		टाऊनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार	मानचित्रानुसार
		बिक्री योग्य क्षेत्रफल का प्रतिशत		
		सुविधाओं के क्षेत्रफल का प्रतिशत		
		सडको के क्षेत्रफल का प्रतिशत		

प्रार्थी के आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन कराने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव है।

निर्णय :-

1. प्रकरण को बैठक में निरस्त किया गया।





बैठक दिनांक 18 अप्रैल 2011

प्रकरण संख्या 484/11

जोन उत्तर

क्र.स.	विवरण			
1	आवेदक का नाम	लाबुराम पुत्र श्री जवाराराम		
2	राजस्व ग्राम	खोखरिया		
3	खसरा नम्बर	22		
4	क्षेत्रफल	7 बीघा 7 बिस्वा		
5	खसरा सुपरइम्पोजिन एवं आऊटर सीमा का प्रमाणीकरण	सम्बन्धित अमीन द्वारा किया गया है जिसमें प्रस्तुत ले आउट ग्राम खोखरिया के खसरा नं. 22 का मिलान तरमीम शुद्धा राजस्व नक्शे में अंकित क्षेत्रफल एवं मौका अनुसार किया गया है।		
6	स्वामित्व/आवाप्ति/विधिक परीक्षण	सम्बन्धित उपायुक्त के अनुसार भूमि का स्वामित्व आवेदक का है। भूमि तरमीम शुद्धा हैं। निदेशक विधि ने बैठक में कोई विपरीत राय प्रकट नहीं की है।		
7	आवेदित भूमि में राजकीय भूमि/रास्ता नहीं होने का अमीन द्वारा प्रमाणीकरण	अमीन की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि में राजकीय भूमि शामिल नहीं है व कोई रास्ता नहीं है।		
8	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	थोक व्यापार व बाईपास		
9	चाहा गया भू-उपयोग	आवासीय		
10	आवेदित भूमि तक पहुच मार्ग			
11	आवेदित भूमि से होकर गुजरने वाली विद्युत लाईन का विवरण	नहीं		
12	ले-आउट प्लान का क्षेत्र विश्लेषण		टाऊनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार	मानचित्रानुसार
		बिक्री योग्य क्षेत्रफल का प्रतिशत		
		सुविधाओं के क्षेत्रफल का प्रतिशत		
		सडको के क्षेत्रफल का प्रतिशत		

प्रार्थी के आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन कराने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव है।

निर्णय :-

1. प्रकरण को बैठक में निरस्त किया गया।

बैठक दिनांक 18 अप्रैल 2011

प्रकरण संख्या 492/11

जोन उत्तर

क्र.स.	विवरण			
1	आवेदक का नाम	लाबुराम पुत्र श्री जवाराराम		
2	राजस्व ग्राम	खोखरिया		
3	खसरा नम्बर	172, 172/1		
4	क्षेत्रफल	12 बीघा		
5	खसरा सुपरइम्पोजिन एवं आऊटर सीमा का प्रमाणीकरण	सम्बन्धित अमीन द्वारा किया गया है कि प्रस्तुत ले-आऊट प्लान का मिलान हल्का पटवारी द्वारा जारी लट्टा ट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपि क्रमांक 2201 दिनांक 01.03.11 से किया गया। ले-आऊट प्लान ग्राम खोखरिया के ख.न. 172 व 172/1 का है।		
6	स्वामित्व/आवाप्ति/विधिक परीक्षण	सम्बन्धित उपायुक्त के अनुसार भूमि का स्वामित्व आवेदक का है। भूमि तरमीम शुदा हैं। निदेशक विधि ने बैठक में कोई विपरीत राय प्रकट नहीं की है।		
7	आवेदित भूमि में राजकीय भूमि/रास्ता नहीं होने का अमीन द्वारा प्रमाणीकरण	अमीन की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि में राजकीय भूमि शामिल नहीं है व कोई रास्ता नहीं है।		
8	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	थोक व्यापार व बाईपास		
9	चाहा गया भू-उपयोग	आवासीय		
10	आवेदित भूमि तक पहुच मार्ग	-		
11	आवेदित भूमि से होकर गुजरने वाली विद्युत लाईन का विवरण	नहीं		
12	ले-आऊट प्लान का क्षेत्र विश्लेषण	टारुनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार	मानचित्रानुसार	
		बिक्री योग्य क्षेत्रफल का प्रतिशत		
		सुविधाओं के क्षेत्रफल का प्रतिशत		
		सडको के क्षेत्रफल का प्रतिशत		

प्रार्थी के आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन कराने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव है।

निर्णय :-

1. प्रकरण को बैठक में निरस्त किया गया।

क्र.स.	विवरण			
1	आवेदक का नाम	कुम्भाराम पुत्र श्री खेताराम		
2	राजस्व ग्राम	पाल		
3	खसरा नम्बर	319/7		
4	क्षेत्रफल	6 बीघा 10 बिस्वा		
5	खसरा सुपरइम्पोजिन एवं आउटर सीमा का प्रमाणीकरण	सम्बन्धित अमीन द्वारा किया गया है जिसमें 90 बी पत्रावली सं. 10/2010 आदेश पैरा सं. 3 व 4 श्रीमान उपायुक्त महोदय (दक्षिण) दिनांक 13.01.2011 व मोखिक निर्देश दिनांक 11.4.2011 के क्रम में पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हल्का पाल के तरमीम शुदा प्रमाणित नक्शा ट्रेस क्रमांक 5903 दिनांक 15.7.2010 के आधार पर प्रस्तुत ले आउट प्लान में ग्राम पाल के तरमीम खं न. 319/7 की भूमि है। राजस्व नक्शे में कोई सरकारी भूमि या सरकारी रास्ते की भूमि नहीं है।		
6	स्वामित्व/आवाप्ति/विधिक परीक्षण	सम्बन्धित उपायुक्त के अनुसार भूमि का स्वामित्व आवेदक का है। भूमि तरमीम शुदा हैं। निदेशक विधि ने बैठक में कोई विपरीत राय प्रकट नहीं की है।		
7	आवेदित भूमि में राजकीय भूमि/रास्ता नहीं होने का अमीन द्वारा प्रमाणीकरण	अमीन की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि में राजकीय भूमि शामिल नहीं है व कोई रास्ता नहीं है।		
8	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	आवासीय		
9	चाहा गया भू-उपयोग	आवासीय		
10	आवेदित भूमि तक पहुच मार्ग	30'		
11	आवेदित भूमि से होकर गुजरने वाली विद्युत लाईन का विवरण	नहीं		
12	ले-आउट प्लान का क्षेत्र विश्लेषण		टाऊनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार	मानचित्रानुसार
		बिकी योग्य क्षेत्रफल का प्रतिशत		
		सुविधाओं के क्षेत्रफल का प्रतिशत		
		सडको के क्षेत्रफल का प्रतिशत		

आवेदक की भूमि के लिए पहुच मार्ग केवल 30' हैं, जबकि टाऊनशिप पोलिसी 2010 के अनुसार पहुच मार्ग 40' चौड़ा होना आवश्यक है, अतः प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

**निर्णय :-**

1. समिति में उपायुक्त (दक्षिण) ने आपत्ति उठाई कि आवेदक की भूमि में 80' चौड़ी मास्टर प्लान सडक उपलब्ध है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने सचिव को प्रकरण की जांच करने हेतु निर्देशित किया।

क्र.सं.	विवरण			
1	आवेदक का नाम	राणाराम पुत्र श्री नथाराम		
2	राजस्व ग्राम	पाल		
3	खसरा नम्बर	130/1		
4	क्षेत्रफल	8 बीघा 5 बिस्वा		
5	खसरा सुपरइम्पोजिन एवं आऊटर सीमा का प्रमाणीकरण	सम्बन्धित अमीन द्वारा किया गया है जिसमें 90 बी पत्रावली सं. 08/2010 आदेश श्रीमान उपायुक्त महोदय दक्षिण दिनांक 8.12.2010 की पालना में पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हल्का पाल द्वारा प्रमाणित नक्शा ट्रेस क्रमांक 6162 दिनांक 18.10.2010 के आधार पर (नक्शे से खं. न. 130/1 की तरमीम नहीं होने से) भूमि ग्राम पाल के मूल खं न. 130 का भाग है।		
6	स्वामित्व/आवाप्ति/विधिक परीक्षण	सम्बन्धित उपायुक्त के अनुसार भूमि का स्वामित्व आवेदक का है। भूमि तरमीम शुदा हैं। निदेशक विधि ने बैठक में कोई विपरीत राय प्रकट नहीं की है।		
7	आवेदित भूमि में राजकीय भूमि/रास्ता नहीं होने का अमीन द्वारा प्रमाणीकरण	अमीन की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि में राजकीय भूमि शामिल नहीं है व कोई रास्ता नहीं है।		
8	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	आवासीय		
9	चाहा गया भू-उपयोग	आवासीय		
10	आवेदित भूमि तक पहुच मार्ग	80'		
11	आवेदित भूमि से होकर गुजरने वाली विद्युत लाईन का विवरण	नहीं		
12	ले-आउट प्लान का क्षेत्र विश्लेषण	टाऊनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार	मानचित्रानुसार	
		बिक्री योग्य क्षेत्रफल का प्रतिशत	60 प्रतिशत	57.78
		सुविधाओं के क्षेत्रफल का प्रतिशत	30 प्रतिशत	5.12
		सडको के क्षेत्रफल का प्रतिशत		37.00

आवेदक ने केवल 8 बीघा 5 बिस्वा भूमि का आवेदन किया था परन्तु मानचित्र की जांच में 9119.92 वर्ग गज भूमि अधिक पायी गयी, जिसको पुनः अमीन द्वारा सही किया गया एवं कम की गई भूमि के मानचित्र का क्षेत्र विश्लेषण पुनः किये जाने के उपरान्त ही स्वीकृति दी जा सकती है।

**निर्णय :-**

1. प्रकरण को संशोधित क्षेत्र विश्लेषण के उपरान्त नियमानुसार स्वीकृत किया जा सकता है।
2. प्रार्थी पेयजल अपूर्ति हेतु जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से पहले सहमति प्राप्त करें।
3. यदि प्रार्थी की भूमि नगर निगम क्षेत्र में है, तो सीवरेज व्यवस्था के बारे में प्रार्थी नगर निगम से सहमति प्राप्त करें।

क्र.स.	विवरण			
1	आवेदक का नाम	ओमप्रकाश पुत्र श्री मूलाराम		
2	राजस्व ग्राम	चौखा		
3	खसरा नम्बर	690, 691		
4	क्षेत्रफल			
5	खसरा सुपरइम्पोजिन एवं आऊटर सीमा का प्रमाणीकरण	सम्बन्धित अमीन द्वारा किया गया है जिसमें उक्त ले आउट प्लान का पत्रावली में उपलब्ध राजस्व नक्शा प्रमाणित कॉपी से ग्राम चौखा के खसरा नं. 690 व 691 का सुपरइम्पोज कर लिया गया है।		
6	स्वामित्व/आवाप्ति/विधिक परीक्षण	सम्बन्धित उपायुक्त के अनुसार भूमि का स्वामित्व आवेदक का है। भूमि तरमीम शुदा हैं। निदेशक विधि ने बैठक में कोई विपरीत राय प्रकट नहीं की है।		
7	आवेदित भूमि में राजकीय भूमि/रास्ता नहीं होने का अमीन द्वारा प्रमाणीकरण	नहीं किया गया है।		
8	मास्टर प्लान में भू-उपयोग	आवासीय		
9	चाहा गया भू-उपयोग	आवासीय		
10	आवेदित भूमि तक पहुच मार्ग	प्रस्तावित 200'		
11	आवेदित भूमि से होकर गुजरने वाली विद्युत लाईन का विवरण	नहीं		
12	ले-आउट प्लान का क्षेत्र विश्लेषण		टाऊनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार	मानचित्रानुसार
		बिक्री योग्य क्षेत्रफल का प्रतिशत	60 प्रतिशत	27.78
		सुविधाओं के क्षेत्रफल का प्रतिशत	40 प्रतिशत	6.62
		सड़को के क्षेत्रफल का प्रतिशत		65.60

आवेदित ले-आऊट प्लान में मास्टर प्लान का 200' बाईपास प्रस्तावित है।

**निर्णय :-**

ले-आऊट को निम्न शर्तों के साथ समिति द्वारा स्वीकृत किया गया ।

1. प्रार्थी पेयजल अपूर्ति हेतु जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से पहले सहमति प्राप्त करें।
2. यदि प्रार्थी की भूमि नगर निगम क्षेत्र में है, तो सीवरेज व्यवस्था के बारे में प्रार्थी नगर निगम से सहमति प्राप्त करें।
3. भविष्य में ले-आउट जोधपुर विकास प्राधिकरण के रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट से ही मानचित्र तैयार करवाये जाए।
4. तहसीलदार द्वारा प्रमाणीकरण किया जाना है कि प्रार्थी कि भूमि में सरकारी भूमि/रास्ता नहीं है।